

आयुक्त महोदय, चित्रकूटघाम मण्डल/अध्यक्ष, बाँदा विकास प्राधिकरण, बाँदा की अध्यक्षता में दिनांक : 11.12.2025 को सायं 04.00 बजे, आयुक्त महोदय के कार्यालय में सम्पन्न बाँदा विकास प्राधिकरण, बाँदा की 73वीं बोर्ड बैठक का कार्यवृत्त:-

उपस्थिति

1. श्रीमती जे. रीभा, जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष, बाँदा विकास प्राधिकरण बाँदा।
2. श्री मदन मोहन वर्मा, अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे)/सचिव, बाँदा विकास प्राधिकरण, बाँदा।
3. श्री विनोद कुमार, मुख्य कोषाधिकारी, बाँदा।
4. श्री रवीन्द्र गौतम, सहयुक्त नियोजक, झांसी।
5. श्री एन0पी0 सिंह, अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत।
6. श्री तपिष कुमार बलियान, अधिशाषी अभियन्ता, जल निगम (नगरीय)
7. आर0के0 सोनकर, अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग बाँदा।
8. श्री गुरुदेव, डी0आई0सी0/जी0एस0, उद्योग।
9. श्री आर0एन0 सिंह यादव, स्टाफ आफिसर, लोक निर्माण विभाग।
10. श्री कृष्ण कुमार, सहायक अभियन्ता, आवास एवं विकास परिषद।
11. श्री राजीव रंजन, अधिशाषी अभियन्ता, हाइडेल (नगरीय)।
12. श्री जगदीश प्रसाद, सहायक अभियन्ता, न0पा0परिषद, बाँदा।




कार्यवाही

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। सचिव बाँदा विकास प्राधिकरण द्वारा एजेण्डा बिन्दुवार बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विभिन्न एजेण्डा बिन्दुओं पर विस्तृत विचार विमर्श एवं चर्चा हुई। सम्मयक विचारोपरान्त निम्नवत् निर्णय लिये गये:-

मद संख्या	एजेण्डा	एजेण्डा का संक्षिप्त विवरण	निर्णय
1	बाँदा विकास प्राधिकरण, बाँदा की 72वीं बैठक दिनांक 26.08.2028 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	बाँदा विकास प्राधिकरण, बाँदा की 72वीं बैठक दिनांक 26.08.2025 का कार्यवृत्त अध्यक्ष/आयुक्त महोदय के समक्ष प्रेषित किया गया। जिस पर कोई भी आपत्ति/सुझाव नहीं प्राप्त हुआ। बैठक का कार्यवृत्त पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।	अवलोकन किया गया।

Handwritten signatures and initials are present below the table, including a large signature on the right and several smaller ones on the left and center.

2	<p>वांदा विकास प्राधिकरण, वांदा की 72वीं बैठक दिनांक 26.08.2025 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या अवलोकनार्थ ।</p>	<p>वांदा विकास प्राधिकरण, वांदा की 72 वीं बैठक दिनांक 26.08.2025 में लिये गये निर्णयों पर प्रस्तावरार अनुपालन आख्या मा0 सदस्यों के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत है ।</p>	<p>अवलोकन किया गया ।</p>
3	<p>परिचालन के माध्यम से स्वीकृत मा0 मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण / नये शहर प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत वांदा विकास प्राधिकरण, वांदा के अन्तर्गत ग्राम महोखर में 16.404 हेक्टेयर निजी भूमि व 0.293 हेक्टेयर शासकीय भूमि इस प्रकार कुल 16.697 हेक्टेयर भूमि का वर्तमान भू-उपयोग कृषि / औद्योगिक से आवासीय में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में ।</p>	<p>मा0 मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण / नये शहर प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत वांदा विकास प्राधिकरण, वांदा के अन्तर्गत ग्राम महोखर में 16.404 हेक्टेयर निजी भूमि व 0.293 हेक्टेयर शासकीय भूमि इस प्रकार कुल 16.697 हेक्टेयर भूमि का वर्तमान भू-उपयोग कृषि / औद्योगिक से आवासीय में परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताव मा0 बोर्ड द्वारा परिचालन के माध्यम से दिनांक 10.10.2025 को स्वीकृत किया गया था। उक्त प्रस्ताव मा0 बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रेषित है ।</p>	<p>परिचालन के माध्यम से स्वीकृत प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान किया गया एवं शासनादेश संख्या I/1169492/2025 /8-3099/310/2025 दि0 10.12.2025 द्वारा बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन मा0 बोर्ड द्वारा ग्राम महोखर में कृषि से आवासीय भू-उपयोग में परिवर्तित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
4	<p>वांदा विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत जोनल प्लान लागू किये जाने हेतु आर0एफ0पी0 डायग्राम की स्वीकृति एवं निविदा आमंत्रित किये जाने की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।</p>	<p>अवगत कराना है कि वांदा विकास प्राधिकरण की 71वीं बोर्ड बैठक में मा0 बोर्ड द्वारा निम्न प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की गयी थी:- आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश संख्या 19/2025/आई/936000/2025 आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 दिनांक 15.04.2025 द्वारा वांदा महायोजना-2031 (पुनरीक्षित) की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। उक्त महायोजना को 08 जोन में विभाजित किया गया है। प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 के शासनादेश 8-3099/1590/2020 दिनांक 14.05.2025 द्वारा जोनल प्लान तैयार किये जाने सम्बन्धी शासनादेश संख्या-आई/728007/2024/आठ-3099/1590/2020 दिनांक 29.08.2024 द्वारा निर्गत कार्यालय आदेश एवं शासनादेश संख्या 1034/आठ-3-18-170 विविध/2017टी0सी0 दिनांक 04.07.2018 को अतिक्रमित करते हुये तत्काल प्रभाव से</p>	<p>प्रस्ताव स्वीकृत किया गया ।</p>

दिनांक 14.05.2025 के शासनादेश में वर्णित व्यवस्था का अनुपालन करते हुए जी०आर०एफ०पी० तकनीक पर जोनल प्लान तैयार कराये जाने हेतु निजी विशेषज्ञ/कन्सल्टेन्ट का चयन करने के लिए ई-निविदा की कार्यवाही सम्बन्धित विभाग प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा की जायेगी तदनुसार कन्सल्टेन्ट चयन एवं अनुश्चयण समिति एवं टेकिन्कल इवैल्यूेशन कमेटी का कउन किया गया है। अतः जोनल प्लान तैयार किये जाने हेतु निजी विशेषज्ञ/कन्सल्टेन्ट का चयन करने के लिए ई-निविदा की कार्यवाही की स्वीकृति एवं कन्सल्टेन्ट के चयन हेतु आर०एफ०पी० तैयार किये जाने हेतु प्रस्ताव मा० बोर्ड के समक्ष प्रेषित है।

मा० बोर्ड द्वारा उक्त प्रस्ताव के क्रम में निर्देशित किया गया कि, " मा० बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से प्राधिकरण/जनहित के दृष्टिगत आवश्यकतानुसार जोनल प्लान तैयार किये जाने हेतु ई निविदा के माध्यम से निजी विशेषज्ञ/कंसल्टेन्ट का चयन किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया।"

उक्त के अनुपालन में जोनल प्लान तैयार किये जाने हेतु ई निविदा के माध्यम से निजी विशेषज्ञ/कंसल्टेन्ट का चयन किये जाने हेतु सहयुक्त नियोजक, झांसी द्वारा अपने पत्र संख्या 505 दिनांक 08.10.2025 के माध्यम से निविदा प्रपत्र / आर०एफ०पी० तैयार कर प्राधिकरण में प्रस्तुत किये गये है।

अचान्त कराना है कि प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 के शासनादेश 8-3099/1590/2020 दिनांक 14.05.2025 के विन्दु सं०-2(ख) में प्राविधान है कि जोनल प्लान तैयार किये जाने हेतु तैयार आर०एफ०पी० कम आर०एफ०पी० का परीक्षण सी०एस्०आर०सी० से कराने के उपरान्त ही निविदा आमंत्रण एवं कन्सल्टेन्ट चयन की कार्यवाही की जाए।

शासनादेश दिनांक 14.05.2025 के विन्दु संख्या 2(घ) के अनुसार जिलाधिकारी/उपब्यक्ष महोदयों द्वारा कन्सल्टेन्ट चयन एवं अनुश्चयण समिति (सी०एस्०आर०सी०) निम्नवत् गठित की गयी है:-

1	उपब्यक्ष, विकास प्राधिकरण	अध्यक्ष
2	अपर जिलाधिकारी (न्यायिक)	सदस्य
3	सहयुक्त नियोजक झांसी	सदस्य
4	सचिव / प्रभारी नियोजन, बांदा विकास प्राधिकरण	सदस्य
5	मुख्य कोषाधिकारी / मुख्य लेखाधिकारी, बांदा	सदस्य
6	सहायक अभियन्ता, बांदा विकास प्राधिकरण	सदस्य

आर०एफ०पी० डाक्यूमेंट का समिति द्वारा परीक्षण किया गया है। शासनादेश दिनांक 14.05.2025 के अनुसार आर०एफ०पी० का अनुमोदन प्राधिकरण बोर्ड से कराने के

7

Handwritten signature and initials in blue ink.

Handwritten signature and initials in blue ink.

<p>5</p>	<p>मा10 मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण / नये शहर प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत के अन्तर्गत ग्राम महोखर में प्रथम चरण में कुल 16.697 हेक्टेयर भूमि में आवासीय योजना विकसित किये जाने हेतु तलपट मानचित्र / लेआउट स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।</p>	<p>उपरान्त निविदा की कार्यवाही की जाए। अतः परीक्षणोपरान्त आर0एफ0पी0 जाक्यूमेन्ट मा0 बोर्ड के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।</p> <p>बांदा विकास प्राधिकरण द्वारा ग्राम मवई बुजुर्ग व महोखर में 47.198 हेक्टेयर भूमि में मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण / नये शहर प्रोत्साहन योजना के तहत नयी आवासीय योजना विकसित की जानी है। उक्त स्थल पर लगभग 34.00 हेक्टेयर भूमि आपसी समझौते से क्रय की जा चुकी है। अतः अगल कराना है कि उक्त प्रस्तावित 47.198 हेक्टेयर भूमि में ग्राम मवई बुजुर्ग के कलिपय गाटाओं यथा 3655मि0, 3658, 3660 एवं 3638 के कुछ अंश का विक्रय विलेख कानूनी बाधता के कारण प्राधिकरण के पक्ष में नहीं हो सका है। साथ ही अगल कराना है कि मवई बुजुर्ग के 02 शासकीय गाटाओं का विनिमय / पुर्नग्रहण नहीं हो सका है। साथ ही ग्राम महोखर में अन्य गाटे भी क्रय किये जा रहे है। शासन द्वारा निर्देश दिये गये है कि बांदा विकास प्राधिकरण के स्वामित्व वाले गाटाओं का ही भू-उपयोग परिवर्तन किया जा सकता है। शासन स्तर से लगातार उक्त योजना का लान्च किये जाने के निर्देश प्राप्त हो रहे है। ग्राम महोखर में 16.697 हे0 भूमि का स्वामित्व विकास प्राधिकरण का हो गया है।</p> <p>अतः ग्राम महोखर में 16.404 हेक्टेयर निजी भूमि व 0.293 हेक्टेयर शासकीय भूमि इस प्रकार कुल 16.697 हेक्टेयर भूमि का वर्तमान भू-उपयोग कृषि / औद्योगिक से आवासीय में परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताव मा0 बोर्ड द्वारा परिचालन के माध्यम से दिनांक 10.10.2025 को स्वीकृत किया गया जिसके क्रम में प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जा चुका है।</p> <p>अतः प्रथम चरण में ग्राम महोखर में 16.697 हेक्टेयर भूमि पर आवासीय योजना विकसित किये जाने हेतु स्थल के अनुसार स्थल का तलपट मानचित्र आर्किटेक्ट / कन्स्टेन्ट द्वारा तैयार किया गया है जिसकी जांच सहयुक्त नियोजक, झांसी से करायी जा चुकी है। अतः मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना (ग्राम महोखर) का तलपट मानचित्र / लेआउट की स्वीकृत हेतु प्रस्ताव मा0 बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।</p> <p>अगल कराना है कि बांदा विकास प्राधिकरण, बांदा के वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राधिकरण के समस्त कार्यों में व्यय हेतु रू0 7734.27 लाख व्यय किये जाने की स्वीकृति मा0 बोर्ड द्वारा प्रदान की गयी है। उक्त वजट में व्यय हेतु प्रस्तावित वजट के मद सं0-27 (पं0 दीन दयाल पुरम आवासीय योजना) में रू0 2018.53 लाख एवं मद संख्या-25 (अवस्थापना निधि) में रू0 150.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी है। प्राधिकरण की 72वीं बोर्ड बैठक में संकटमोचन हनुमान मन्दिर महावा रोड बांदा पर स्थित नागरीय प्रचारणीय पुस्तकालय का निर्माण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा करायी जाना है। लोक निर्माण विभाग निर्माण खण्ड-1 द्वारा उक्त कार्य हेतु रू0 475.14 लाख का प्राक्कलन प्रस्तुत</p>	<p>प्रस्ताव स्वीकृत किया गया एवं मा0 बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि डी0पी0आर0 के आधार पर कास्टिंग कर योजना को रेरा में पंजीकृत कर आवासीय योजना विकसित किये जाने की कार्यवाही की जाए।</p>
<p>0</p>	<p>वित्तीय वर्ष 2025-26 के स्वीकृत वजट में व्यय हेतु प्रस्तावित वजट के मद सं0-27 (पं0 दीन दयाल पुरम आवासीय योजना) के विकास कार्य व मद संख्या-25 (अवस्थापना निधि) में प्रस्तावित व्यय को रिवाइज (संशोधित) किये जाने के सम्बन्ध में।</p>	<p>प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।</p>	



किया गया है जिसे अवस्थापना निधि के अन्तर्गत कराया जाना है। जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष महोदयों द्वारा प्रथम चरण में प्राक्कलन में प्रस्तावित कुल व्यय का 50 प्रतिशत धनराशि हस्तान्तरण किये जाने के निर्देश दिये गये हैं जिसके क्रम में लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड-1 को रू० 1.00 करोड़ हस्तान्तरित किया जा चुका है। वर्तमान में अवस्थापना निधि में रू० 2.04 लाख अवशेष है।

साथ ही अवस्थापना निधि से निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है:-

1- नरैनी रोड स्थिति वृद्धाश्रम में वृद्धजनों के बैठने हेतु 10 बेन्च, 01 वाटर कूलर एवं 02 झूलें लगवाये जाने के कार्य हेतु रू० 5.00 लाख की सीमा तक व्ययानुमान प्रस्तावित है जिसका प्रस्ताव प्राधिकरण की 72वीं बोर्ड बैठक में स्वीकृत किया गया है।

2- बांदा स्टेडियम में वैडमिटन कोड परिसर में वुडेन सिस्टम फ्लोरिंग का कार्य हेतु रू० 17.79 लाख की सीमा तक व्ययानुमान प्रस्तावित है जिसकी स्वीकृति प्राधिकरण की अग्रिम बोर्ड बैठक में प्राप्त कर ली जायेगी।

3- अवगत कराना है बांदा विकास प्राधिकरण की 71वीं बोर्ड बैठक में अवस्थापना निधि से कलेक्ट्रेट चौराहा से जजी परिसर की बाउन्ड्रीवाल के बाहर बांदा-घिल्ला रोड पर रेलिंग का कार्य कराये जाने हेतु लगभग रू० 24.00 लाख का व्यय का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है।


4- जेल रोड का चौड़ीकरण/सौन्दर्यीकरण का कार्य कराया जा रहा है। चौड़ीकरण/सौन्दर्यीकरण किये जाने हेतु जेल की बाउन्ड्रीवाल क्षतिग्रस्त हो रही है जिसे अवस्थापना निधि के माध्यम से कराये जाने का प्रस्ताव मा० बोर्ड द्वारा 71वीं बैठक में प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है।

5- सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क (नवाब टैंक बांदा में पार्किंग एरिया में इन्टर लाकिंग एवं रिपेयरिंग की कार्य निविदा स्वीकृत उपरान्त कार्यादेश निर्गत किया जा चुका है जिस पर लगभग रू० 19.77 लाख का व्यय प्रस्तावित है।

6- हार्पर वलव बांदा में संचालित जिम के रेनोवेशन एवं आर०सी०सी० स्लैब के विस्तारीकरण कार्य कराये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण की 72वीं बोर्ड बैठक में स्वीकृत किया गया है जिसमें राजकीय निर्माण निगम द्वारा उक्त कार्य हेतु 10.52 लाख का आगणन प्रस्तुत किया गया है।

साथ ही यह भी अवगत कराना है कि प्राधिकरण 70वीं बोर्ड बैठक में अलीगंज पुलिस चौकी के निर्माण हेतु रू० 20.00 लाख अवस्थापना निधि समिति से नगर पालिका परिषद को हस्तान्तरित किये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है।

अवगत कराना है कि बांदा विकास प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में अवस्थापना निधि में कुल रू० 150.00 लाख व्यय किये जाने की स्वीकृति प्राप्त है। वर्तमान माह तक रू० 150.00 लाख के सापेक्ष रू० 147.96 लाख का व्यय किया जा



	<p>7 तुलसी नगर आवासीय योजना के सर्किल रेट को कास्ट इन्प्लेशन इन्डेक्स / वर्तमान जिलाधिकारी महोदया के सर्किल रेट के आधार पर दरों को संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में।</p>	<p>चुका है। इस प्रकार इस वित्तीय वर्ष हेतु अवस्थापना निधि में ₹0 2.04 लाख का बजट अवशेष है जबकि इस वित्तीय वर्ष हेतु उपरोक्त वर्धित समस्त कार्यों हेतु लगभग ₹0 400.00 लाख का व्ययानुमान प्रस्तावित है।</p> <p>अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्थानीय निकायों के अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्रों में स्थित अचल सम्पत्ति का अन्तर्ण विलेखों पर सग्रहित 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाफ शुल्क भुगतान की धनराशि का समय से सदुपयोग सुनिश्चित किये जाने एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में मा0 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार स्टाफ तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन विभाग उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में दिनांक 15.09.2025 को सम्पन्न बैठक में निर्देश दिये गये अवस्थापना निधि में उपलब्ध धनराशि का सदुपयोग करते हुये तत्काल उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। साथ ही प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन की अध्यक्षता में सम्पन्न समीक्षा बैठक दिनांक 16.09.2025 को भी यह निर्देश दिये गये कि अवस्थापना निधि में उपलब्ध धनराशि का समयान्तर्गत सदुपयोग कर लिया जाए।</p> <p>अवस्थापना निधि मद में उपलब्ध धनराशि में से मात्र 150.00 लाख व्यय करने का बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु स्वीकृत किया गया है। अवस्थापना निधि में उपलब्ध धनराशि में से उपरोक्त वर्धित अवस्थापना निधि के समस्त कार्यों के दृष्टिगत मद संख्या-25 (अवस्थापना निधि) में वित्तीय वर्ष 2025-26 के व्यय में 250.00 लाख की धनराशि जोड़ते हुए 400.00 लाख व्यय किये जाने के साथ मद संख्या-27 (पं0 दीन दयाल पुरम आवासीय योजना) के विकास कार्य में प्रस्तावित कुल व्यय बजट 2018.53 लाख में से 250.00 लाख कम करते हुये 1768.53 लाख व्यय किया जाना है। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय हेतु प्रस्तावित बजट 7734.27 लाख में कोई अन्तर नहीं आयेगा।</p> <p>अतः वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु स्वीकृत मद संख्या-27 व मद संख्या-25 में प्रस्तावित व्यय संशोधित किये जाने का प्रस्ताव मा0 बोर्ड के समक्ष प्रेषित है।</p> <p>अवगत कराना है कि तुलसी नगर आवासीय योजना के सर्किल रेट को बांदा विकास प्राधिकरण की 65 बोर्ड बैठक दिनांक 31.07.2023 को तत्समय प्रचलित कास्ट इन्प्लेशन इन्डेक्स के आधार पर संशोधित किया गया था। वर्तमान में जिलाधिकारी सर्किल दर ₹0 15000.00 प्रतिवर्गमीटर प्रचलित है एवं वर्तमान कास्ट इन्प्लेशन इन्डेक्स वित्तीय वर्ष 2025-26 के आधार पर भी 15000.00 प्रति वर्गमीटर आती है। अतः तुलसी नगर आवासीय योजना के सर्किल दर को वर्तमान जिलाधिकारी सर्किल दर / वर्तमान कास्ट इन्प्लेशन इन्डेक्स के आधार पर आवासीय दर ₹0 15000.00 प्रति वर्गमीटर संशोधित किये जाने का प्रस्ताव निम्नानुसार मा0 बोर्ड के समक्ष प्रेषित है।</p>	<p>प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।</p>
--	--	---	-----------------------------------

6


<p>बांदा विकास प्राधिकरण की बाबूलाल चौराहा स्थित राइफल क्लब, की भूमि के ले-आउट का अनुमोदन एवं नीलामी के माध्यम से विक्रय किये जाने हेतु पंजीकरण खोले जाने के सम्बन्ध में।</p>	<p>अवगत कराना है कि बांदा विकास प्राधिकरण की 71वीं बोर्ड बैठक में मा0 बोर्ड द्वारा निम्न प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की गयी थी:-</p> <p>“बाबूलाल चौराहा स्थित राइफल क्लब नजूल भूमि का फ्री-होल्ड का विलेख (डीड) बांदा विकास प्राधिकरण के पक्ष में दिनांक 10 मार्च 1998 को हुई है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय ने बांदा नगर में स्थित नजूल आराजी संख्या- 9546 के क्षेत्रफल 8825.70 वर्गमी0 भूमि/भूमि सहित निर्मित भवन बांदा विकास प्राधिकरण के पक्ष में निम्न शर्तों के साथ हस्तान्तरित करने की स्वीकृति प्रदान की है:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- उक्त क्षेत्रफल 8825.70 वर्गमीटर में से 1350 वर्गमीटर आवासीय भवनों के निर्माण। 2- उक्त क्षेत्रफल 8825.70 वर्गमीटर में से 2000.00 वर्गमीटर शापिंग एवं कामर्शियल काम्पलेक्स हेतु। 3- उक्त क्षेत्रफल 8825.70 वर्गमीटर में से 4482.50 वर्गमीटर भूमि चिल्ड्रेन पार्क, प्ले ग्राउण्ड, सुलभ शौचालय एवं रास्ते हेतु। <p>बांदा महायोजना 2031 में स्थल का भू-उपयोग व्यवसायिक (रिटेल) है। बाबूलाल चौराहा स्थित राइफल क्लब की गाटा संख्या 9546 में 8825.70 वर्गमीटर भूमि का फ्री-होल्ड डीड के अनुसार ले-आउट/स्थल का नियोजन किये जाने हेतु आर्किटेक्ट/कन्सलटेन्ट का घयन किया जा चुका है। आर्किटेक्ट/कन्सलटेन्ट द्वारा ले-आउट तैयार किया गया है। अतः उक्त ले-आउट की स्वीकृति एवं भूमि विक्रीत किये जाने का प्रस्ताव मा0 बोर्ड के समक्ष प्रेषित है।”</p> <p>मा0 बोर्ड द्वारा उक्त प्रस्ताव के क्रम में निर्देशित किया गया कि, “ मा0 बोर्ड द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी एवं निर्देश दिये गये कि ले-आउट स्वीकृत कराकर अग्रिम कार्यवाही की जाए”।</p> <p>तत्क्रम में मा0 बोर्ड के निर्देशों के क्रम में सहयुक्त नियोजक, झांसी द्वारा राइफल क्लब का नियोजन किये जाने हेतु बिल्डिंग बाईलाज 2025, बांदा महायोजना 2031 व राइफल क्लब की डीड के शर्तों के अनुसार उक्त स्थल का ले-आउट तैयार कराया गया है जिसकी स्वीकृति जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष महोदयों द्वारा प्रदान कर दी गयी है। उक्त स्थल का की लागत वर्तमान जिलाधिकारी सर्किल दर के आधार पर वाणिज्यिक सम्पत्ति भूमि की दर ₹0 57000.00 प्रति वर्गमीटर है। साथ ही अवगत कराना है कि उक्त स्थल बांदा प्रयागराज रोड व बांदा-बबेरू रोड के कार्नर पर बांदा महायोजना में निर्मित क्षेत्र में स्थित है। जिलाधिकारी, बांदा की सर्किल दर की बुकलेट में सामान्य निर्देश के बिन्दु सं0-5 में उल्लिखित है कि, “जिस कृषक / गैर कृषक / वाणिज्यिक सम्पत्ति के सामने पार्क हो तो उसके न्यूनतम मूल्य की गणना निर्धारित दर से करने के पश्चात् 10 प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर की जायेगी। जिस कृषक / गैर कृषक / वाणिज्यिक सम्पत्ति की</p>	<p>सम्यक विचार-विमर्श उपरान्त मा0 बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि बोर्ड बैठक में प्रस्तुत संदर्भित स्थल के ले-आउट/तलपट मानचित्र में आंशिक संशोधन करते हुये 18 मीटर चौड़े झांसी-प्रयागराज मास्टर प्लान रोड साइड सड़क व स्थल के बीच 03 मीटर का पैसेज छोड़ते हुए ले-आउट/तलपट मानचित्र स्वीकृत किया जाए। अतः उपरोक्त संशोधन के साथ प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।</p>
---	---	---

		<p>सीमाओं में एक से अधिक मार्ग हो, ऐसी सम्पत्ति के न्यूनतम मूल्य की गणना अधिक मूल्य दर वाले मार्ग की निर्धारित की गयी दर से करने के पश्चात् 10 प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर की जायेगी। यदि उपरोक्त दोनों परिस्थितियां विद्यमान हो तो ऐसी सम्पत्ति के मूल्य की गणना निर्धारित दर से करने के पश्चात् 20 प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर की जायेगी।”</p> <p>उक्त ले-आउट मा0 बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ एवं ले-आउट के अनुसार भूखण्ड की नीलामी रू0 62700.00 प्रति वर्गमीटर को आरक्षित दर के अनुसार प्रस्ताव मा0 बोर्ड के समक्ष प्रेषित है।</p>	
14	अन्य विन्दु अव्यक्त महोदय की अनुमति से।		

अति. रि.01	<p>बांदा विकास प्राधिकरण में कार्य कर रही अंशकालिक स्वीपर श्रीमती सावित्री का पारिश्रमिक बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।</p>	<p>बांदा विकास प्राधिकरण में कार्य कर रही अंशकालिक स्वीपर श्रीमती सावित्री से प्राधिकरण कार्यालय की सफाई व्यवस्था का कार्य लिया जा रहा है। वर्तमान में श्रीमती सावित्री का पारिश्रमिक रू0 4000/- प्रतिमाह दिया जा रहा है। श्रीमती सावित्री द्वारा अपना पारिश्रमिक बढ़ाये जाने की मांग की गयी है। जिस हेतु इनका पारिश्रमिक बढ़ाये जाने पर विचार किये जाने हेतु प्रस्ताव मा0 बोर्ड के समक्ष प्रेषित है।</p>	<p>मा0 बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) की अव्यक्तता में एक समिति गठित की जाए जिसमें सचिव बांदा विकास प्राधिकरण एवं</p>
अति. रि.02	<p>बांदा विकास प्राधिकरण में लेबर के आधार पर कार्यरत लेखा सम्बन्धी कार्यों हेतु कम्प्यूटर संचालन का कार्य कर रहे कार्मिक का पारिश्रमिक बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।</p>	<p>अवगत कराना है कि बांदा विकास प्राधिकरण में लेखा अनुभाग में लेबर से आधार पर कम्प्यूटर संचालन का कार्य किये जाने हेतु एक कार्मिक (श्री प्रकाश धुरिया) से सेवाये ली जा रही है। प्राधिकरण के लेखा अनुभाग में तैनात उक्त कार्मिक को वर्तमान में रू0 11,000.00 प्रतिमाह पारिश्रमिक दिया जा रहा है। उक्त कार्मिक द्वारा अपना पारिश्रमिक बढ़ाये जाने की मांग की गयी है। जिस हेतु इनका पारिश्रमिक बढ़ाये जाने पर विचार किये जाने हेतु प्रस्ताव मा0 बोर्ड के समक्ष प्रेषित है।</p>	<p>मा0 बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) की अव्यक्तता में एक समिति गठित की जाए जिसमें सचिव बांदा विकास प्राधिकरण एवं</p>







		<p>मुख्य कोषाधिकारी सदस्य हो। समिति द्वारा अपनी आख्या जिलाधिकारी / उपाध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। अनुमोदनो-परान्त अग्रिम कार्यवाही की जाए।</p>
<p>आदि. दि. 03 प्राधिकरण की तुलसी नगर आवासीय योजना को नगर पालिका परिषद को हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।</p>	<p>अवगत कराना है कि बांदा विकास प्राधिकरण की तुलसी नगर आवासीय योजना जिसका लगभग निर्माण/विकास कार्य पूर्ण हो चुका है एवं समस्त आवासीय भूखण्डों को आवंटन किया जा चुका है। कतिपय व्यवसायिक व स्कूल श्रेणी के भूखण्डों का आवंटन अवशेष है जिन्हें आवंटित किये जाने के लिए दिनांक 04.11.2025 से 30.11.2025 तक पंजीकरण खोले गये हैं। उक्त योजना रेंज में पंजीकृत है। नियमानुसार प्राधिकरण की योजना पूर्ण होने के उपरान्त नगर पालिका परिषद को हस्तगत की जाती है। उक्त योजना हस्तगत किये जाने हेतु प्राधिकरण की टीम के साथ नगर पालिका परिषद एवं लोक निर्माण विभाग की टीम के साथ संयुक्त निरीक्षण किया जा चुका है। नगर पालिका के द्वारा अवगत कराया गया कि कतिपय स्थानों पर मरम्मत आदि के कार्य कराया जाना है जिसका आगणन नगर पालिका परिषद द्वारा तैयार किया जा रहा है।</p> <p>अतः उक्त योजना नगर पालिका परिषद को हस्तगत किये जाने हेतु प्रस्ताव मा0 बोर्ड के समक्ष प्रेषित है।</p>	<p>प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।</p>
<p>आदि. दि. 04 मा0 मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण / नये शहर प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत बांदा शहर में ग्राम मवई बुजुर्ग व ग्राम महोखर में प्रस्तावित आवासीय योजना विकसित किये जाने हेतु प्रस्तावित भूमि के अन्तर्गत प्रभावी महायोजना में परिभाषित भू-उपयोग कृषि/औद्योगिक (उद्योग) भू-उपयोग से प्रस्तावित भूमि के प्रस्तावित भूमि के भू-उपयोग को</p>	<p>कृपया अवगत कराना है कि प्राधिकरण द्वारा मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के अन्तर्गत ग्राम महोखर व मवई बुजुर्ग में 34.946 हेक्टेयर भूमि का अर्जन आपसी समझौते के आधार पर किया जा रहा है जिसकी स्वीकृति प्राधिकरण की 68वीं बोर्ड बैठक दिनांक 10.09.2024 द्वारा प्रदान की जा चुकी है। अवगत कराना है कि बांदा विकास प्राधिकरण की 72वीं बोर्ड बैठक में बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस वे से संलग्न अन्य गाटो की भूमि को भी आपसी सहमति के आधार पर क्रय किये जाने का प्रस्ताव मा0 बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जिसमें मा0 बोर्ड द्वारा ग्राम महोखर व मवई बुजुर्ग में कुल 12.252 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि आपसी सहमति से क्रय किये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। इस प्रकार बांदा विकास प्राधिकरण द्वारा लगभग 47.198 हे0 भूमि आपसी सहमति से लिया जा रहा है। बांदा विकास प्राधिकरण द्वारा प्रथम चरण में ग्राम महोखर में 16.697</p>	<p>प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।</p>





4	3658	0.862	कृषि क्षेत्र	आवासीय
5	3659	0.198	कृषि क्षेत्र	आवासीय
6	3660	0.425	कृषि क्षेत्र	आवासीय
7	3661	0.421	कृषि क्षेत्र	आवासीय
8	3662	0.0261428	कृषि क्षेत्र	आवासीय
9	3663	0.75252	कृषि क्षेत्र	आवासीय
10	3721	0.1	कृषि क्षेत्र	आवासीय
11	3816	1.465	कृषि क्षेत्र	आवासीय
12	3817	1.505	कृषि क्षेत्र	आवासीय
13	3818	4.087	कृषि क्षेत्र	आवासीय
Total		11.51869		

उक्त के अतिरिक्त बांदा महायोजना 2031 में परिभाषित ग्राम मवई बुजुर्ग में 7.9933 हे० भूमि उद्योग से आवासीय में परिवर्तित किये जाने एवं ग्राम महोत्तर के 10.32406 हेक्टेयर भूमि उद्योग से आवासीय में परिवर्तित किये जाने हेतु गाटावार विवरण निम्नवत् है:-

क्र०सं०	गाटा सं०	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	बांदा महायोजना-2031	प्रस्तावित मू-उपयोग
1	3643 फि०	1.811	उद्योग	आवासीय
2	3644	0.024	उद्योग	आवासीय
3	3645	0.64	उद्योग	आवासीय
4	3646	0.04	उद्योग	आवासीय

राजस्व
ग्राम-मीजा
मवई बुजुर्ग

तहसील- बांदा जिला-बांदा

11

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

5	3654	0.384	उद्योग	आवासीय
6	3655मि०	1.77297	उद्योग	आवासीय
7	3662	0.034857	उद्योग	आवासीय
8	3663	0.30348	उद्योग	आवासीय
9	3664	0.7	उद्योग	आवासीय
10	3665	0.134	उद्योग	आवासीय
11	3647मि०	0.108	उद्योग	आवासीय
12	3648मि०	0.187	उद्योग	आवासीय
13	3649मि०	0.271	उद्योग	आवासीय
14	3650	0.001	उद्योग	आवासीय
15	3651	1.084	उद्योग	आवासीय
16	3652मि०	0.436	उद्योग	आवासीय
17	3646	0.034	उद्योग	आवासीय
18	3653	0.028	उद्योग	आवासीय
	कुल योग	7.9933		

राजस्व ग्राम-मीजा महोत्तर	गाटा सं०	गाटे का सम्पूर्ण क्षेत्रफल	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	बांदा महायोजना- 2031 नू-उपयोग	प्रस्तावित नू-उपयोग
भूमि का विवरण	गाटा सं०	गाटे का सम्पूर्ण क्षेत्रफल	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	बांदा महायोजना- 2031 नू-उपयोग	प्रस्तावित नू-उपयोग
	1	18मि०	0.886	0.852364	उद्योग आवासीय

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right and several smaller ones on the left.

			0.033636	नहर हरित पट्टी	नहर हरित पट्टी
			3.4465	उद्योग	आवासीय
			0.1455	नहर हरित पट्टी	नहर हरित पट्टी
2	16	3.592	2.0859	उद्योग	आवासीय
			0.1641	नहर हरित पट्टी	नहर हरित पट्टी
3	15	2.250	1.6988	उद्योग	आवासीय
			0.1432	नहर हरित पट्टी	नहर हरित पट्टी
4	13	1.842	1.7765	उद्योग	आवासीय
			0.1785	नहर हरित पट्टी	नहर हरित पट्टी
5	7	1.955	0.046	उद्योग	आवासीय
			0.133	उद्योग	आवासीय
6	8	0.046	0.065	उद्योग	आवासीय
7	10	0.133	0.134	उद्योग	आवासीय
8	11	0.065	0.03	उद्योग	आवासीय
9	12	0.134	0.028	उद्योग	आवासीय
10	14	0.03	0.028	उद्योग	आवासीय
11	16/2928	0.028	0.028	उद्योग	आवासीय
12	17	0.028	10.989	उद्योग	आवासीय
	Total	10.989	10.989		

इस प्रकार ग्राम मयई बुजुर्ग में 7.9933 हे० भूमि उद्योग से आवासीय व ग्राम महोत्तर में 10.32406 हे० भूमि उद्योग से आवासीय में परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताव

13
 13
 13

<p>अति रि. 06</p> <p>सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क / आक्सीजन पार्क के पास अटल सरोवर का सौर्दीकरण एवं कायाकल्प का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।</p>	<p>है। यहां यह अवगत कराना है कि ग्राम महोखर में सड़क से संलग्न 15 मीटर नहर हरित पट्टी जिसका कुल क्षेत्रफल 0.664936 हे0 है, को यथावत रखे जाने का प्रस्ताव है जिसे बांदा विकास प्राधिकरण द्वारा अपनी योजना में भी प्रस्तावित किया जायेगा।</p> <p>अतः उपरोक्तानुसार शासनादेश दिनांक 10.12.2025 के अनुसार भू-उपयोग परिवर्तन की शासन की शक्तियों का प्रतिनिधायन विकास प्राधिकरण बोर्ड को हो जाने के दृष्टिगत ग्राम मवई बुजुर्ग में 11.51869 हे0 भूमि कृषि से आवासीय में परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताव मा0 बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।</p> <p>साथ ही उक्त के अतिरिक्त ग्राम मवई बुजुर्ग में 7.9933 हे0 भूमि उद्योग से आवासीय व ग्राम महोखर में 10.32406 हे0 भूमि उद्योग से आवासीय, इस प्रकार कुल भूमि 18.31706 हे0 भूमि को उद्योग से आवासीय में परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत करते हुये उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 13(2) के अर्न्तगत स्वीकृति हेतु शासन को संदर्भित करने का प्रस्ताव मा0 बोर्ड के समक्ष प्रेषित है।</p> <p>सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क / आक्सीजन पार्क के पास अटल सरोवर का सौर्दीकरण एवं कायाकल्प का कार्य कराये जाने के निर्देश जिलाधिकारी / उपाध्यक्ष महोदया द्वारा प्रदान किये गये है जिसके क्रम में नगर पालिका परिषद बांदा द्वारा उपरोक्त कार्य कराये जाने हेतु अपने पत्र सं0 2267 दिनांक 05.12.2025 द्वारा ₹0 323.24 लाख का आगणन प्रस्तुत किया गया है। जिसमें से जिलाधिकारी / उपाध्यक्ष महोदया द्वारा निम्न कार्यों को प्राधिकरण द्वारा अवरथापना निधि से कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं:-</p> <p>1- आक्सीजन पार्क के पास अटल सरोवर की सफाई एवं खुदाई का कार्य। ₹0 120.57 लाख</p> <p>2- आक्सीजन पार्क के पास अटल सरोवर में आर.सी.सी. रिटनिंग वाल एवं स्टोन पिचिंग का कार्य। ₹0 68.24 लाख</p>	<p>प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।</p>
--	--	-----------------------------------







	<p>इस प्रकार अवस्थापना निधि से लगभग रू० 188.81 लाख का व्यय होना प्रस्तावित है। अतः उपरोक्त कार्य अवस्थापना निधि से कराये जाने की अनुमति हेतु प्रस्ताव मा० बार्ड के समक्ष प्रेषित है।</p>	
--	--	--

अन्त में धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गयी।

(एन०पी० सिंह)
अधीक्षण अभियन्ता
विद्युत

(आर०के० मोनकर)
अधिशाषी अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग, बांदा

(गुरुदेव)
उपायुक्त उद्योग
बांदा

(लपिष कुमार बलियान)
अधिशाषी अभियन्ता
जल निगम (नगरीय)

(रवीन्द्र कुमार गौतम)
सहयुक्त नियोजक
सम्भागीय नियोजन खण्ड

(विनोद कुमार)
मुख्य कोषाधिकारी / मुख्य लेखाधिकारी
बांदा विकास प्राधिकरण, बांदा

(मदन मोहन वर्मा)
सचिव
बांदा विकास प्राधिकरण, बांदा

J. N. Mishra
(जे. शैभा)
उपाध्यक्ष / जिलाधिकारी
बांदा विकास प्राधिकरण, बांदा

अनुसूचित
(अजीत कुमार)
अध्यक्ष

बांदा विकास प्राधिकरण / मण्डलायुक्त, चित्रकूटधाम मण्डल
बांदा

20.12.25